समक्षः- श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ~~कैम्प सागर~~ ,म0प्र0

निगरानी याचिका क्रमांक- निगरानी-2771/2018/छतरपुर/भू.रा.

हेतराम तनय भगवानदास ब्रा.

निवासी बकस्वाहा, जिला-छतरपुर, म0प्र0 -----------निगरानी कर्ता

बनाम

1- सुदामा प्रसाद पिता दुर्गा प्रसाद ब्रा.

2- प्रेम शंकर तनय दुर्गा प्रसाद ब्रा.

3- प्रभु दयाल तनय दुर्गा प्रसाद ब्रा.

निवासी बकस्वाहा, जिला-छतरपुर, म0प्र0 ---------प्रतिनिगरानी कर्तागण

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 7/5/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क दिनांक 10/5/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं. अधिनस्थ अपरआयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 189/ अपील/ वर्ष 2016-2017 में आदेश दिनांक 15.3.2018 के विरूद्ध)

निगरानीकर्ता निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है कि-

(1) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक से निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

(2) प्रति निगरानीकर्ता गण द्वारा विचारणीय न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 1/ अ-6/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 11.3.2000 के विरूद्ध अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस आशय की अपील प्रस्तुत की थी कि ग्राम बकस्वाहा स्थित भूमि खसरा नं. 238 2364, 542, को दिनांक 20.5.1963 में अवधरानी उर्फ कल्याण पुरावाली ने तहरीर लिख कर प्रतिनिगरानीकर्ता गण के पिता को दे दी थी। किन्तु इस प्रकरण में प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में हुये नामान्तरण

हेतराम तिवारी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2771/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बकस्वाहा के यहां नामांतरण पंजी क्र. 20 आदेश दिनांक 13.10.1999 के विरुद्ध अपील पेश की गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा इश्तहार का प्रकाशन किया गया एवं आर.आई व पटवारी के विधिवत प्रतिवेदन आहुत किए जाकर उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवती हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक या विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	